कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक संख्या– एम0ई0–3/2019/1810 दिनांक : 08 अप्रैल, 2019

आवश्यक सूचना

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 के निर्णय के कम में नीट पी0जी0–2019 के शासनादेश दिनांक 09.03.2019 के बिन्दु 3 (ख) तथा नीट पी0जी0–2019 के ब्रोशर में प्रवेश हेतु अर्हता के बिन्दु 2 को हटाने के निर्देश दिये गए थे। उक्त के अनुपालन में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटिवश उत्तर प्रदेश राज्य की स्टेट कोटा की सीटों की आवंटन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से एम0बी0बी0एस उत्तीर्ण किया है वे स्टेट कोटा की सीट के आवंटन से वंचित रह गये हैं जिस कारण दिनांक 06.04.2019 को घोषित एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा की काउसिलिंग आवंटन का परिणाम निरस्त किया जाता है। छूटे हुए पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटन प्रकिया में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है, तदानुसार यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जाएगा।

कृते महानिदेशक

Scanned by CamScanner